(Authoritative English text of this Department Notification No.Home-A-E(3)-31/2015-I Loose dated 20-05-2019 as required under Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India).

Government of Himachal Pradesh
Home Department.

NOTIFICATION

No. Home (A) E (3)-31/2015-I **Dated: Shimla-171002,20-05-2019.**

In exercise of the powers conferred by sub section (1) of section 357-A of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the Governor of Himachal Pradesh in co-ordination with the Central Government is pleased to frame the following Scheme for providing funds for the purpose of compensation to the victim of crime or his/her dependents, who have suffered loss or injury as a result of the crime and who require rehabilitation, namely:-

(1) **Short title and Commencement.**- (1) This Scheme may be called "The Himachal Pradesh (Victim of Crime) Compensation Scheme, 2019".

(2) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh appoint.

(2) **Definitions.**-(1) In this Scheme, unless the context otherwise requires:-

(a) "Code" means the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974);

DILO
15.6.2019

(b) "Annexure" means the Annexure-I of the Scheme on which application under the scheme has to be submitted by the applicant;

(c) "Applicant" means the victim or the person making an application on behalf of the victim where he or she, due to physical or mental incapacity, is unable to submit the same or where the victim has died, includes his legal heirs;

(d) "Fund" means the Himachal Pradesh Victim Compensation Fund constituted under Clause 4 of the Scheme;

(e) "Schedule" means Schedule appended to this Scheme;

(f) "State Government" means the Government of Himachal Pradesh;

(g) "District Legal Service Authority" and "State Legal Services Authority" shall respectively mean a District Legal Services Authority and State Level Services Authority constituted under section 9 and section 6 of the Legal Services Authorities Act,1987 respectively;

(h) "Victim" means a person who himself/herself suffered loss or injury as a result of crime and requires rehabilitation and the expression "Victim" includes in case of his/her death, also his/her dependant(s), guardian or legal heir(s); and

(i) "Loss or injury" means as defined in the Schedule.

(2) Words and Expressions used in this Scheme and not defined, shall have the same meaning as assigned to them in the Act.

3. Objecitves of the Seheme.- The Scheme aims at providing:-

(a) Financial assistance to the victim; and

(b) Support services such as shelter, counselling, medical aid, legal assistance, education and vocational training depending upon the needs of the victim.

4. Victim Compensation Fund.- (1) The State Government shall constitute a fund called Himachal Pradesh Victim Compensation Fund from which an amount of compensation under this Scheme shall be paid to the victim or his/her dependent(s), guardian or Legal heir(s) as the case may be, who has suffered loss or injury as result of a crime and who requires rehabilitation.

(2) The State Government shall allot a separate budget for the purpose of the Scheme every year.

(3) The fund shall be operated by the Member Secretary, Himachal Pradesh State Legal Services Authority.

5. Eligibility for Compensation.- (1) A victim shall be eligible for the grant of compensation :-

(a) Where the trial Court, under sub section (2) of section 357A of the code makes a recommendation or an application is made under sub section (4) of section 357A of the code to the District or State Legal Services Authorities.

(b) Assistance under the Scheme shall be available in respect of each of the cases where the F.I.R is lodged;

(c) Where the trial court, at the conclusion of the trial, is satisfied, that the compensation awarded under section 357 of the code is not adequate for such rehabilitation, or where the case ends in acquittal or discharge and the victim has to be rehabilitated and a recommendation by the Court for compensation is made:

Provided that the victim, within reasonable time frame, gives information to the officer-in-charge of a Police Station of the commission of crime within the limits of such station or to a Judicial Magistrate empowered to take cognizance of such offence arising out of the crime:

Provided further that the victim co-operates with the police and prosecution during investigation and trial of the case:

Provided further that the application is made on Annexure-I to the District Legal Services Authority of the District where the crime was committed (for award of compensation as provided in sub-section (4) of section 357-A of the code).

2. (a) Such recommendation or application, as the case may be, shall be transferred to the District Legal Services Authority of the District where the crime was committed.

(b) Where the crime is committed partly in one local area and partly in another or where it consists of several acts done in different local areas, the District Legal Services Authority having jurisdiction over any of such local areas may proceed under section 357A of the code.

(c) A victim would also be eligible for grant of compensation where the offender is not traced or identified; and where no trial of offence takes place.

6.Procedure for grant of compensation.- (1) Whenever under sub section (2) of section 357-A of the code, a recommendation for compensation is made by the Court, or an application is made under Sub-Section (4) of Section 357-A of the Code, to the District Legal Services Authority for award of compensation, the said Authority shall examine the case and verify the contents of the claim with regard to the loss or injury caused to victim arising out of the reported crime .

(2) During the course of verification, the District Legal Services Authority, may call for any other relevant information necessary in order to determine genuineness of the claim and shall after due enquiry, award compensation within sixty days, in accordance with provisions of the Schedule.

(3) The District or the State Legal Services Authority, as the case may be, to elleviate the suffering of the victim, may order for immediate interim aid facility or medical benefit to be made available free of cost on the certificate of Police Officer not below the rank of Officer –in Charge of the Police Station or a

Magistrate of the area concerned, or any other interim relief as the appropriate authority deems fit.

(4) Where the victim or his/her dependents have suffered more than one injury or loss, the compensation payable in each individual case shall only be for the severest injury or loss suffered as a result of the crime.

(5) Compensation so paid shall be subject to the condition that if the Court while passing the judgment in the case arising out of the crime, orders the accused person(s) to pay any amount by way of compensation under sub-section (3) of section 357 of the code, an amount equivalent to compensation so paid under section 357-A of the code shall be remitted by the Court directly to the State or the District Legal Services Authority, as the case may be, by whom the compensation had been paid under the Scheme.

(6) The District or the State Legal Services Authority, as the case may be, shall decide the quantum of compensation to be awarded to the victim or his/her dependants on the basis of type and severity of loss caused to the victim, medical expenses to be incurred for treatment, reasonable travelling expenses if summoned by District or State Legal Services Authority, minimum sustenance amount required for rehabilitation including such incidental charges as funeral expenses etc. The compensation may vary from case to case, depending on the facts and circumstances of each case and subject to such limits as prescribed in the Schedule.

(7) The quantum of compensation to be awarded under the Scheme shall be remitted into the Bank Account provided in the application. As far as practicable, the amount may be transferred electronically, so as to provide efficacious and speedy disbursement to the victim from the fund. In case where the victim is a minor or mentally ill, the amount shall be remitted to the Bank Account of his /her parent or guardian after the satisfication of District or State Legal Services Authority, as the case may be, Awarded compensation would be properly utilized in the interest and welfare of such minor or mentally ill victim.

(8) In relation to the crime in question, the payments so received by the victim on account of insurance claim, ex-gratia etc. under any other Act or Scheme(s), shall be considered as part of the compensation amount under this Scheme and if the eligible compensation amount exceeds the payments so received by the victim from collateral sources mentioned above, only the balance amount shall be payable out of the Fund.

(9) The cases covered under Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) wherein the compensation is to be awarded by the Motor Accident Claims Tribunal shall not be covered under the Scheme.

(10) The Compensation payable to the victim by the State Government under the provisions of this Scheme shall be in addition to payment of fine to the victim imposed on the accused person by the trial Court.

(11) The victim of Acid attack/Rape victim u/s 326 A, 376, 376A, 376B,376C, 376D or 376-E I.P.C. shall be entitled to receive free of cost 100% medical treatment from any of the Governemnt Hospitals/Government approved Hospitals or any Hospital where treatment is available i.e. within India.

7. **Non admissibility of compensation in certain cases.**- No Compensation shall be admissible under the Scheme where:-

(a) The victim has previously lodged any claim for compensation in respect of the same crime; or

(b) The incident is so belated that no evidence would be forthcoming.

8. **Refund of compensation in certain cases.**- (1) Where the applicant after receipt of compensation under the scheme :-

(a) Fails to cooperate with the police or prosecution during investigation and trial of the case ; or

(b) Victim has failed to give all reasonable assistance to the District or State Legal Services Authority in connection with the proceedings under the Scheme; or

(c) Furnishes, as true, information relating to the crime which he knows or has reason to believe to be false; or

(d) Being legally bound by an oath or affirmation to state the truth in relation to the crime to any public servant or other person authorized by law to administer such oath or affirmation, makes any statement which is false or knows or believes to be false ; or

(e) Gives false evidence in any stage of a judicial proceeding or fabricates false evidence for the purpose of being used at any stage of a judicial proceeding; or

(f) Causes any evidence of the commission of the offence to disappear with the intention of screening the offender from legal punishment or with that intention gives any information respecting the offence which he knows or believes to be false.

(2) The District Legal Services Authority or the State Legal Services Authority, as the case may be, by whom the compensation was awarded under the Scheme shall be informed in writing of the said fact by the police or the prosecuting agency, as the case may be :

(3) On receipt of such information the District or State Legal Services Authority may serve a notice upon the applicant, calling upon him/her to show cause as to why the compensation under the Scheme so received by him/her may not be refunded back to the District or State Legal Services Authority.

(4) The District or the State Legal Services Authority by whom the compensation was awarded under the Scheme after considering the explanation, if any, to the show cause notice issued and after giving the victim a reasonable opportunity of being heard, by order, record a finding as to whether the amount of compensation so received deserves to be refunded by the victim to such authority within a period of sixty days from such order, failing which the said amount shall be recovered from the victim as arrears of land revenue.

9. Order to be placed on record.- The Court at the time of ordering compensation under sub section(3) of section 357 of the code shall take into account any sum paid as compensation under

the Scheme and copy of such order of compensation made under section 357-A of the code shall be placed on record of the Court .

10. Limitation.- No claim made by the victim or his dependants under sub-section (4) of section 357-A of the code shall be entertained after a period of twelve months from the date of crime:

Provided that the District or State Legal Services Authourity may entertain the application received after the expiry of said period of twelve months, if it is satisfied, that the applicant was prevented by sufficient cause from filing the application in time.

11. Appeal.- (1) An applicant aggrieved by the denial of compensation by the District Legal Services Authority may file an appeal before the State Legal Services Authority within a period of ninety days from the date of such order.

(2) The State Legal Services Authority, if satisfied for the reasons to be recorded in writing, may condone the delay in filing the appeal.

(3) An applicant aggrieved by the orders of the District Legal Services Authority calling upon him/her to refund the compensation as provided in sub para (3) of para 8 of the Scheme may file an appeal before the State Legal Services Authority within a period of ninety days from the date of such order.

(4) No appeal shall lie against the orders of the State Legal Services Authority.

12.Accounts &Audit.- (1) The State and the District Legal Services Authorities shall maintain proper accounts of the fund and other relevant records and prepare an annual statement of accounts.

(2) The accounts shall be audited by the Examiner, Local Audit Department, Himachal Pradesh.

(3) An audited statement of accounts shall be submitted by the Member Secretary of the Himachal Pradesh State Legal Services Authority to the State Government, every year and shall also place requisition for requirement of more funds for porper and effective implementation of the Scheme.

13. Repeal and Saving.- (1) Himachal Pradesh (Victim of Crime) Compensation Sechme 2012, Financial Assistance and Support Services to Victim of Rape Scheme, 2012, Relief and Rehabilitation to women Acid Victim Scheme, 2016 are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal anything done or any action taken under the said Schemes so repealed, shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Scheme.

(3) The present scheme will apply to all the pending cases where no award has been passed as on the date of coming into force of the present Scheme.

By order,

(Manoj Kumar)
Addl. Chief Secretary (Home) to the
Government of Himachal Pradesh

Endst. No. As above, Dated: Shimla-2, **20-05-2019.**

Copy forwarded to the following for information and necessary action to:-

1 The Secretary, Government of India, Ministry of Women & Child Development,Shashti Bhawan, New Delhi.
2 The Sr. P.S to Chief Secretary, Govt. of Himachal Pradesh, Shimla-2
3 LR-cim-Principal Secretary (Law) to the Govt. of Himachal Pradesh-2
4 The Director General of Police, Himachal Pradesh, Shimla-2
5 The Registrar General, H.P. High Court, Shimla-1
6 All the District & Session Judge, Himachal Pradesh
7 The Secretary Legal Services Authorities, Himachal Pradesh.
8 All the Heads of Department in Himachal Pradesh.
9 All the Deputy Commissioners in Himachal Pradesh.
10 All the District Superintendents of Police, Himachal Pradesh.
11 The District Legal Services Authorities, Himachal Pradesh.
12 The Controller Printing & Stationary, Himachal Pradesh, Shimla-5 publication of the Notification in the Rajpatra. He is requested to upload the notification in the Rajpatra and make available a copy of Gazettee to this department.

(Surinder Thakur)
Joint Secretary (Home) to the
Government of Himachal Pradesh.

SCHEDULE

[See clause 2 (e) and 6(6)]

Scheme of Compensation under Himachal Pradesh (Vicim of Crime) Compensation Scheme, 2019.

Sr. No.	Description of injures/loss	Minimum amount of Compensation
1.	Acid attack	Rs. 3 lakhs
2.	Rape	Rs. 3 lakhs
3.	Physical abuse of minor.	Rs. 2 lakhs
4.	Rehabilitation of victim of Human Trafficking.	Rs. 2 lakhs
5.	Sexual assault (Excluding rape)	Rs. 50,000/-
6.	Death	Rs. 2 lakhs
7.	Grievous hurt, certified by a Govt. Doctor or Doctor from the panel approved by the Government.	Rs. 25,000/-
8.	Permanent Disability (80% or more)	Rs. 2 lakhs
9.	Partial Disability (40% to 80%)	Rs. 1 lakhs
10.	Burns affecting greater than 25% of the body(excluding Acid Attack cases)	Rs. 2 lakhs
11.	Loss of foetus	Rs. 50,000/-
12.	Loss of fertility	Rs. 1.5 lakhs
13.	Women victims of cross border firing: (a) Death or Permanent Disability (80% or more) (b) Partial Disability (40%to 80%)	 Rs. 2 lakhs Rs. 1 lakhs
14.	Harassment of child due to being used for pornographic purpose.	Rs. 50,000/-
15.	Attempt for commission of offence under section 307 and 376 IPC read with Section 511 IPC.	Rs. 50,000/-

Note:1. If the victim is less than 14 years of age, the compensation shall be increased by 50% over the amount specified above.

Note: 2. Specification of the amount of compensation as per the Schedule above is subject to the condition that if the Competent Court/Authority passing the award feels for the reasons to the recorded in writing that the award of compensation be more than the minimum amount as specified, then special order of the State Government shall be necessary for payment of the excess amount of compensation.

Explanation:

1. For the purpose of assessing the percentage or gravity of disability, physical abuse, injuries or determining loss of foetus, loss of fertility, or mental agony the certificate of Chief District Medical Officer or Sub Divisional Medical Officer, as the case may be, shall be conclusive unless the Competent Court or Authority finds it unacceptable for the reasons to be recorded in writing.
2. In the case of victimization due to human trafficking the question of rehabilitation shall be decided by the concerned District Legal Services Authority after due enquiry.

ANNEXURE-I

1. Name of the victim:
2. Age of the victim:
3. Name of the parents
   (a) Father:
   (b) Mother:
4. Address:- House No.---------
   Village/Ward-----
   Tehsil---------
   District--------
   PIN----------
   Telephone----------
   Mobile-------------
5. Date and time of the incident;
6. Place of the incident:
7. (i) Name and details of the applicant.
   (ii) Relationship with the victim (dependent family members or any other, specify, in case the application is made on behalf of a minor, mentally ill/mentally challenged victim or on the death of the victim.
8. Whether FIR has been lodged or complaint has been made to the Judicial Magistrate?
   (a) If yes, state the date, time and place alongwith the copy of FIR/ information.
   (b) If not, reasons thereof.

9. Whether the victim has previously lodged any claim for compensation in respect of the same crime.

10. If yes, details thereof whether medical examination has been done?

    (a) if yes, copy of MLC (if available).

    (b) If not, reasons thereof ?

11. Enclose death certificate (where death of the victim has taken place as a result of the crime).

12. Reasons for delay, if any, in filing application under the Scheme within 90 days of recording of FIR.

13. Details of Bank Account,.........Name of Bank------------

    Branch------------

    Account No.--------

    IFSC Code

Place

Signature of the applicant with
Address for correspondence.

Dated:

List of enclosures:

(1) Copy of FIR or complaint made to the Court.
(2) Copy of Medical Report.
(3) Any other

हिमाचल प्रदेश सरकार
गृह विभाग

संख्याःगृह(क)ई(3)–31/2015–I   तारीखः शिमला–171002, 20–05–2019

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 357–क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार के समन्वय से, ऐसे पीड़ित व्यक्ति को या उसके आश्रितों, जिन्हें किसी अपराध के परिणामस्वरूप कोई हानि या क्षति हुई है और जिनका पुनर्वास अपेक्षित है, को प्रतिकर के प्रयोजन के लिए निधियों की व्यवस्था करने हेतु निमनलिखित स्कीम बनाते हैं, अर्थात्:–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ** .– (1). इस स्कीम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश (अपराध से पीड़ित व्यक्ति) प्रतिकर स्कीम 2019 है।
   (2) यह ऐसी तारीख को प्रवृत होगी जो राज्य सरकार राजपत्र (ई0 गजट), हिमाचल प्रदेश में अधिसूचना द्वारा नियत करें ।
2. **परिभाशाएं** .– (1) इस स्कीम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:–
   (क) "संहिता" से, दण्ड प्रकिया संहिता,1973 (1974 का 2) अभिप्रेत है,
   (ख) "उपाबंध" से स्कीम का उपाबंध–I अभिप्रेत है जिस पर स्कीम के अधीन आवेदक द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया जाना है;
   (ग) "आवेदक" से पीड़ित व्यक्ति या पीडित व्यक्ति, जहां वह शारीरिक या मानसिक अक्षमता के कारण आवेदन प्रस्तुत करने में असमर्थ है, या जहॉ पीड़ित व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है, की ओर से आवदेन करने वाला व्यक्ति अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत उसके विधिक वारिस भी हैं ,
   (घ) "निधि" से, इस स्कीम के खण्ड 4 के अधीन गठित हिमाचल प्रदेश पीड़ित व्यक्ति प्रतिकर निधि अभिप्रेत है;
   (ङ) "अनुसूची" से, इस स्कीम से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है;
   (च) "राज्य सरकार" से, हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है;
   (छ) "जिला विधिक सेवा प्राधिकरण" और "राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण" से, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की कमशः धारा 9 और धारा 6

के अधीन गठित क्रमशः जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(ज) "पीड़ित व्यक्ति" से, ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसको किसी अपराध के परिणामस्वस्प हानि या क्षति हुई है और जिसका पुर्नवासन अपेक्षित है तथा उसकी मृत्यु की दशा में, पद "पीड़ित व्यक्ति" के अन्तर्गत उसका / उसके आश्रित, संरक्षक या विधिक वारिस भी हैं; और

(झ) "हानि या क्षति" से अनुसूची में यथापरिभाषित हानि या क्षति अभिप्रेत है।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इस स्कीम ने प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, वही अर्थ होगें जो अधिनियम में हैं।

3. **स्कीम के उद्दे□य** .— स्कीम का उद्देश्य निम्नलिखित उपलब्ध करवाना है,—

(क) पीड़ित व्यक्ति को वित्तीय सहायता : और

(ख) पीड़ित व्यक्ति की आवश्यकताओं पर आधारित सहायक सेवाएं जैसे आश्रय देना, परामर्श देना, चिकित्सीय सहायता देना, विधिक सहायता देना, शिक्षा ओर व्यावसायिक प्रशिक्षण देना ।

4 **पीड़ित व्यक्ति प्रतिकर निधि** .— (1) राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश पीड़ित व्यक्ति प्रतिकर निधि के नाम से ज्ञात एक निधि का गठन करेगी जिससे इस स्कीम के अधीन, यथास्थिति, पीड़ित व्यक्ति या उसके / उनके आश्रित (आश्रितों), संरक्षक या विधिक वारिस (वारिसों), जिसे / जिन्हें अपराध के कारण हानि या क्षति हुई है और जिनका पुनर्वासन अपेक्षित है, को प्रतिकर की रकम संदत्त की जानी है।

(2) राज्य सरकार स्कीम के प्रयोजन के लिए प्रतिवर्ष पृथक् बजट आबंटित करेगी ।

(3) निधि का संचालन सदस्य सचिव, हिमाचल प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा ।

5. **प्रतिकर के लिए पात्रता**.—(1)पीड़ित व्यक्ति प्रतिकर प्रदान किए जाने के लिए पात्र होगा :—

(क) जहाँ विचारणीय न्यायालय, संहिता की धारा 357 क की उपधारा (2) के अधीन इसकी संस्तुति करता है या संहिता की धारा 357 क की उपधारा (4) के अधीन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को आवदेन किया है।

(ख) प्रत्येक मामले के सम्बन्ध में स्कीम के अधीन सहायता उपलब्ध होगी जहाँ प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दाखिल की गई है।

(ग) जहाँ विचारण न्यायालय का, विचारण के निष्कर्ष पर, समाधान हो जाता है कि संहिता की धारा 357 के अधीन अधिनिर्णित प्रतिकर, ऐसे पुनर्वासन हेतु पर्याप्त नहीं है या जहाँ मामला दोषमुक्ति या उन्मोचन से समाप्त हो गया है और पीड़ित व्यक्ति का पुनर्वासन किया जाना है तथा न्यायालय द्वारा प्रतिकर के लिए सिफारिश की गई है:

परन्तु पीड़ित व्यक्ति, युक्तियुक्त समय सीमा के भीतर, किसी पुलिस थाना के प्रभारी अधिकारी को ऐसे पुलिस थाना की सीमाओं के भीतर हुए अपराध की या ऐसे अपराध से उद्‌भूत अपराध का संज्ञान लेने के लिए सशक्त किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट को सूचना देता है:

परन्तु यह और कि पीड़ित व्यक्ति मामले के अन्वेषण और विचारण के दौरान पुलिस और अभियोजन के साथ सहयोग करता है:

परन्तु यह और भी कि आवेदन जिला, जहाँ अपराध किया गया था (संहिता की धारा 357 क की उपधारा (4) मे यथा उपबन्धित प्रतिकर के अधिनिर्णय के लिए), के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को उपाबन्ध–1 पर किया है।

(2) (क) यथास्थिति, ऐसी सिफारिश या आवदेन को, जिला, जहाँ अपराध किया गया था, के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को अन्तरित किया जाएगा।

(ख) जहाँ अपराध भागतः एक स्थानीय क्षेत्र में और भागतः किसी अन्य क्षेत्र में या जहाँ वह विभिन्न स्थानीय क्षेत्रों में किए गए पृथक्–पृथक् कार्यों के रूप में किया गया है तो वहां ऐसे किन्हीं स्थानीय क्षेत्रों में अधिकारिता रखने वाला जिला विधिक सेवा प्राधिकरण संहिता की धारा 357 क के अधीन कार्यवाही कर सकेगा ।

(ग) पीड़ित व्यक्ति उस दशा में भी प्रतिकर की मंजूरी का पात्र होगा जहॉ अपराधी का पता नही चलता है या उसकी पहचान नही होती है, और जहॉ अपराध का विचारण नही हुआ है।

6. **प्रतिकर की मंजूरी के लिए प्रकिया .— (1)** जब कभी न्यायलय द्वारा संहिता की धारा 357–क की उपधारा (2) के अधीन प्रतिकर के लिए सिफारिश की गई है या प्रतिकर के अधिनिर्णय के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को संहिता की धारा 357क की उपधारा (4) के अधीन कोई आवेदन किया गया है तो उक्त प्राधिकरण

मामलें की जॉच करेगा और पीड़ित व्यक्ति को रिपोर्ट किए गए अपराध से उद्‌भूत हानि या क्षति की बावत दावे की अन्तर्वस्तु का सत्यापन भी करेगा। -

(2) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सत्यापन के अनुक्रम के दौरान, दावे की प्रमाणिकता अवधारित करने के आशय से कोई अन्य आवश्यक सुसंगत सूचना मँगवा सकेगा और उपयुक्त जांच करने के पश्चात्, अनुसूची के उपबन्धों के अनुसार, साठ दिन के भीतर प्रतिकर अधिनिर्णित करेगा ।

(3) यथास्थिति, जिला या राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण; पीड़ित व्यक्ति की पीड़ा को कम करने के लिए, पुलिस अधिकारी, जो पुलिस थाना के प्रभारी अधिकारी की पंक्ति से नीचे का न हो या सम्बद्ध क्षेत्र के मजिस्ट्रेट के प्रमाण पत्र पर तुरन्त निःशुल्क अंतरिम सहायता सुविधा या चिकित्सीय प्रसुविधा या कोई अन्य अंतरिम अनुतोष, जो समुचित प्राधिकारी उचित समझे, उपलब्ध करवाने के लिए आदेश कर सकेगा।

(4) जहां पर पीड़ित व्यक्ति या उसके आश्रितों को एक से अधिक हानि या क्षति हुई है, तो प्रत्येक व्यक्ति के मामले में, संदेय प्रतिकर केवल, अपराध के परिणामस्वरूप हई गम्भीर क्षति या हानि के लिए ही होगा ।

(5) इस प्रकार संदत्त प्रतिकर, इस शर्त के अध्यधीन होगा कि यदि न्यायालय अपराध से उद्‌भूत मामले पर निर्णय पारित करते समय, अभियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) को संहिता की धारा 357 की उपधारा (3) के अधीन प्रतिकर के रूप में कोई रकम संदाय करने का आदेश करता है, तो संहिता की धारा 357–क के अधीन इस प्रकार संदत्त प्रतिकर के समतुल्य रकम न्यायालय द्वारा प्रत्यक्षतः, यथास्थिति, राज्य या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को दी जाएगी जिसके द्वारा स्कीम के अधीन संदत्त प्रतिकर संदत्त किया गया है।

(6) यथास्थिति, जिला या राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पीड़ित व्यक्ति को कारित हानि के प्रकार और गम्भीरता के आधार पर पीड़ित या उसके आश्रितों को अधिनिर्णीत किए गए प्रतिकर, उपचार के लिए उपगत किए जाने वाले चिकित्सीय व्यय, युक्तियुक्त यात्रा व्ययों, यदि जिला या राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा समन किया गया है, अन्त्येष्टि व्ययों आदि के रूप में ऐसे आनुषंगिक प्रभारों सहित पुनवार्सन के लिऐ अपेक्षित न्यूनतम निर्वाह रकम की मात्रा विनिश्चित करेगा।

प्रतिकर, प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर आधारित और अनुसूची में यथा विहित ऐसी सीमाओं के अध्यधीन, प्रत्येक मामले में भिन्न –भिन्न हो सकेगा ।

(7) स्कीम के अधीन अधिनिर्णित प्रतिकर की मात्रा को आवेदन में उपबंधित बैंक खाते में विप्रेषित किया जाएगा। जहाँ तक यथासाध्य हो रकम इलैक्ट्रानिकली अन्तरित की जा सकेगी ताकि निधि से पीड़ित व्यक्ति को प्रभावकारी और शीघ्र संवितरण हो। यदि पीड़ित व्यक्ति अवयस्क या मानसिक रूप से बीमार है तो रकम, यथास्थिति, जिला या राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के समाधान के पश्चात् उसके माता–पिता या संरक्षक के बैंक खाते में विप्रेषित की जायेगी। अधिनिर्णीत प्रतिकर को ऐसे अवस्यक या मानसिक रूप से बीमार पीड़ित व्यक्ति के हित और कल्याण में समुचित रूप से उपयोग किया जाएगा।

(8) प्रश्नगत अपराध के सम्बन्ध में, किसी अन्य अधिनियम या स्कीम (स्कीमों) के अधीन बीमा दावे, अनुग्रह पूर्वक रकम आदि के लेखे में पीड़ित व्यक्ति द्वारा इस प्रकार प्राप्त संदाय को इस स्कीम के अधीन प्रतिकर की रकम का भाग समझा जाएगा और यदि उपयुक्त प्रतिकर रकम उपरोक्त वर्णित सांपार्श्विक स्त्रोतों से पीड़ित व्यक्ति द्वारा इस प्रकार प्राप्त संदायों से अधिक हो जाती है, तो केवल अतिशेष रकम ही निधि में से संदेय होगी ।

(9) मोटरयान अधिनियम,1988(1988 का 59) के अन्तर्गत आने वाले मामले, जिनमें प्रतिकर मोटर दुर्घटना दावे अधिकरण द्वारा प्रदान किया जाना है, इस स्कीम के अन्तर्गत नहीं आएंगे।

(10) इस स्कीम के उपबन्धों के अधीन राज्य सरकार द्वारा पीड़ित को संदेय प्रतिकर विचारण न्यायलय द्वारा अभियुक्त व्यक्ति पर अधिरोपित पीड़ित को जुर्माने के संदाय के अतिरिक्त होगा।

(11) भारतीय दण्ड संहिता की धारा 326 क, 376, 376क, 376ख, 376ग, 376घ या 376ङ के अधीन एसिड हमले के पीड़ित/व्याभिचार (दुराचार) पीड़ित, किसी भी सरकारी अस्पताल/सरकार द्वारा अनुमोदित अस्पताल या अन्य किसी अस्पताल, जहाँ भारत के भीतर उपचार उपलब्ध है, से शत प्रतिशत मुफ्त चिकित्सा उपचार प्राप्त करने का हकदार होगा/होगी।

7. **कतिपय मामलों में प्रतिकर का अनुज्ञेय होना** .– इस स्कीम के अन्तर्गत कोई प्रतिकर अनुज्ञेय नहीं होगा जहाँ:–

(क) पीड़ित व्यक्ति ने पूर्व में उसी अपराध की बाबत प्रतिकर का कोई दावा किया है; या

(ख) घटना इतनी पुरानी है की कोई साक्ष्य उपलब्ध न हो सकता।

8. **कतिपय मामलों में प्रतिकर का प्रतिदाय** .–(1) जहाँ आवेदक इस स्कीम के अन्तर्गत प्रतिकर प्राप्ति करने के पश्चातः

(क) पुलिस या अभियोजन के साथ मामले की जाँच और विचारण के दौरान सहयोग करने में असफल रहता है; या

(ख) पीड़ित व्यक्ति स्कीम के अन्तर्गत कार्यवाहियों के संबंध में जिला या राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण को पूर्ण युक्तियुक्त सहयोग देने में असफल हो गया है; या

(ग) अपराध से सम्बन्धित ऐसी सूचना को सही/सत्य बताकर प्रस्तुत करता है, जिसे वह जानता है या उसके विश्वास करने का कारण है कि वह मिथ्या है; या

(घ) किसी अपराध के सम्बन्ध में किसी जनसेवक को किसी शपथ या प्रतिज्ञान द्वारा विधिक रूप से बाध्य होते हुए सत्य का कथन करता है या ऐसी शपथ या प्रतिज्ञान लेने हेतु विधि द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को कोई ऐसा कथन देता है जो कि मिथ्या है या वह जानता है अथवा उसके पास विश्वास करने का कारण है कि वह मिथ्या है, या

(ङ) विधिक कार्यवाहियों के किसी स्तर पर मिथ्या साक्ष्य देता है या विधिक कार्यवाहियों के किसी स्तर पर प्रयोग किये जाने के प्रयोजन के लिए मिथ्या साक्ष्य गढ़ता है; या

(च) किसी अपराधी को विधिक दंड से बचाने के आशय से अपराध के घटित होने के किसी साक्ष्य को छिपाता है या उस आशय से किसी अपराध के सम्बन्ध में कोई ऐसी सूचना देता है जो वह जानता है या उसके पास विश्वास करने का कारण है कि वह मिथ्या है।

(2) यथास्थिति, जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण या राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण, जिसके द्वारा स्कीम के अन्तर्गत प्रतिकर प्रदान किया गया था, को यथास्थिति, पुलिस या अभियोजक अभिकरण द्वारा उक्त तथ्य के सम्बन्ध में लिखित में सूचित किया जायेगा ।

(3) जिला या राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ऐसी सूचना के प्राप्त होने पर, आवेदक को बुलाने/कारण बताने का नोटिस दे सकेगा कि उसके द्वारा इस स्कीम के अधीन इस प्रकार प्राप्त किए गए प्रतिकर को जिला या राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को क्यों न वापस कर दिया जाए।

(4) जिला या राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिसके द्वारा स्कीम के अन्तर्गत प्रतिकर प्रदान किया गया था, जारी किए गए कारण बताओ नाटिस पर स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात् और पीड़ित को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात्, आदेश द्वारा, निर्णय को अभिलिखित कर सकेगा कि क्या इस प्रकार प्राप्त किए गए प्रतिकर की रकम को पीड़ित द्वारा ऐसे प्राधिकरण को, ऐसें आदेश के साठ दिन की अवधि के भीतर, प्रतिदत्त किया जाना है या नहीं, ऐसा न होने पर उक्त रकम को पीड़ित व्यक्ति से भू–राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किया जाएगा ।

9. **आदे□ा को रिकार्ड पर प्रस्तुत करना .–** न्यायालय संहिता की धारा 357 की उपधारा(3) के अधीन प्रतिकर का आदेश करते समय स्कीम के अंतर्गत प्रतिकर के रूप में संदत्त किसी रकम को लेखे में लेगी और संहिता की धारा 357–क के अधीन दिए गए प्रतिकर के ऐसे आदेश की प्रति को न्यायालय के अभिलेख में रखा जाएगा ।

10. **परिसीमा** .–संहिता की धारा 357–क की उप–धारा(4) के अधीन पीड़ित व्यक्ति अथवा उसके आश्रितों द्वारा किए गया कोई भी दावा अपराध किए जाने की तारीख से बारह माह के पश्चात् ग्रहण नहीं किया जाएगाः

परन्तु जिला अथवा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बारह मास की उक्त अवधि के अवसान के पश्चात् प्राप्त किए गए आवेदन को ग्रहण कर सकेगा यदि उसका समाधान हो जाता है कि आवेदक को समय पर आवेदन फाइल करने से पर्याप्त कारण द्वारा निवारित किया गया था।

11. **अपील .–** (1)जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रतिकर के इन्कार से व्यथित कोई आवेदक, ऐसे आदेश के 90 दिन की अवधि के भीतर, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के समक्ष अपील कर सकेगा ।

(2) राज्य विधिक सेवा प्राधिकारण का यदि समाधान हो जाता है, तो वह कारणों को लिखित में अभिलिखित करके विलम्ब से अपील दायर करने के लिए छूट दे सकेगा ।

(3) स्कीम के पैरा 8 के उप–पैरा (3) में यथा–उपबंधित प्रतिकर को प्रतिदाय करने के, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेश से व्यथित कोई आवेदक, ऐसे आदेश की तारीख से नब्बे दिन की अवधि के भीतर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के समक्ष अपील दायर कर सकेगा ।

(4) राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेश के विरूद्ध, कोई अपील दायर नहीं की जाएगी ।

12. **लेखा और संपरीक्षा** .– (1) राज्य और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण निधि और अन्य सुसंगत अभिलेखों के समुचित लेखे अनुरक्षित करेंगें और लेखों की वार्षिक विवरणी तैयार करेंगे ।

(2) लेखों की संपरीक्षा, परीक्षक, स्थानीय लेखा विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा की जाएगी।

(3) हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव द्वारा प्रत्येक वर्ष लेखों की संपरीक्षित विवरणी सरकार को प्रस्तुत की जाएगी और स्कीम के समुचित और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अधिक निधियों की अपेक्षा के लिए अध्यापेक्षा भी की जायेगी।

13. **निरसन और व्यावृत्तियां**.–(1) हिमाचल प्रदेश (अपराध से पीडित व्यक्ति) प्रतिकर स्कीम 2012, फाईनैसियल असिसटैंस एंड सपोर्ट सर्विसिज टू विक्टिम ऑफ रेप स्कीम 2012, रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन टू वुमैन एसिड विक्टिम स्कीम, 2016 का एतद् द्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी इस प्रकार निरसित उक्त स्कीम के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस स्कीम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन विधि मान्य रूप में की गई समझी जाएगी।

(3) वर्तमान स्कीम उन सभी लंबित मामलों पर लागू होगी, जहाँ वर्तमान स्कीम के प्रवत्त होने की तारीख को कोई अधिनिर्णय पारित नहीं किया गया है।

आदेश द्वारा,

(मनोज कुमार)
अति0 मुख्य सचिव (गृह)

हिमाचल प्रदेश सरकार ।

पृष्ठांकन संख्याः गृह–ए–ई (3)–31/2015– तारीख शिमला–2 20–05–2019

प्रतिलिपी निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. सचिव, भारत सरकार, महिला एंव बाल विकास मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली ।
2. व0 निजी सचिव, मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश, शिमला–2
3. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–2
4. विधि परामर्शी–एंव– प्रधान सचिव (विधि), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–2
5. पुलिस महानिदेशक, हिमाचल प्रदेश, शिमला–2
6. महापंजीयक, उच्च न्यायलय, हिमाचल प्रदेश।
7. समस्त जिला सत्र न्यायधीश, हिमाचल प्रदेश।
8. सचिव राज्य विधिक सेवाए प्राधिकरण, हिमाचल प्रदेश, कसुमपटी शिमला।
9. समस्त विभागाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश।
10. समस्त जिला उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक हिमाचल प्रदेश।
11. समस्त जिला विधिक सेवाएं, हिमाचल प्रदेश।
12. नियंत्रक मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला–5 राजपत्र मे प्रकाशन हेतु ।

(सुरेन्द्र ठाकुर)
संयुक्त सचिव(गृह)
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

अनुसूची

(खण्ड 2(ड.) और 6 (6) देखें)

हिमाचल प्रदेश (अपराध से पीड़ित व्यक्ति) प्रतिकर स्कीम, 2019 के अन्तर्गत प्रतिकर की स्कीम

कम संख्या	क्षति / हानि का विवरण	प्रतिकर की न्यूनतम स्कीम
1.	एसिड हमला	तीन लाख रूपए
2.	बलात्संग (बलात्कार)	तीन लाख रूपए
3.	नाबालिग का शारीरिक शोषण	दो लाख रूपए
4.	मानव दुर्व्यापार (तस्करी) से पीड़ित व्यक्ति का पुर्नवासन	दो लाख रूपए
5.	यौन हमला (बलात्संग को अपवर्जित करके)	पचास हजार रूपए
6.	मृत्यु	दो लाख रूपए
7.	सरकारी चिकित्सक द्वारा या सरकार द्वारा अनुमोदित पैनल के चिकित्सक द्वारा प्रमाणित गंभीर चोट	पच्चीस हजार रूपए
8.	स्थायी निःशक्तता (80 प्रतिशत या इससे अधिक)	दो लाख रूपए
9.	आंशिक निःशक्तता (40 प्रतिशत से 80 प्रतिशत तक)	एक लाख रूपए
10.	जलने या पच्चीस प्रतिशत से अधिक प्रभावित शरीर (एसिड हमले के मामलों को अपवर्जित करके)	दो लाख रूपए
11.	भ्रूण की हानि	पचास हजार रूपए
12.	प्रजनन की हानि	एक लाख पचास हजार रूपए
13.	सीमापार से गोलाबारी की पीडित महिलाए: (क) मृत्यु या स्थायी निःशक्तता 80 प्रतिशत या इससे अधिक	दो लाख रूपए
	(ख) आंशिक निशक्तता (40 प्रतिशत से प्रतिशत तक)	एक लाख रूपए
14.	अश्लील प्रयोजन (उदेश्य) के लिए इस्तेमाल (प्रयुक्त) किए जाने के लिए बच्चे का उत्पीड़न	पचास हजार रूपए
15.	भारतीस दण्ड संहिता की धारा 511 के साथ पठित भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307 और 376 के अधीन अपराध करने का प्रयास	पचास हजार रूपए

टिप्पण: 1. यदि पीड़ित व्यक्ति चौदह वर्ष की आयु से कम है तो प्रतिकर की रकम उपरोक्त विनिर्दिष्ट रकम के पचास प्रतिशत तक बढायी जाएगी।

टिप्पण: 2. उपरोक्त अनुसची के अनुसार प्रतिकर की रकम का विर्निदेश इस शर्त के अध्यधीन है कि यदि सक्षम न्यायालय/प्राधिकरण अधिनिर्णय पारित करने के कारणों को लिखित में अभिलिखित करके समझता है कि प्रतिकर का अधिनिर्णय यथानिर्दिष्ट न्यूनतम रकम से अधिक है तो प्रतिकर की अधिक रकम के संदाय के लिए राज्य सरकार का विशेष आदेश आवश्यक होगा।

स्पष्टीकरण:

1. निःशक्तता, शारीरिक शोषण, क्षतियों की प्रतिशतता या गंभीरता के निर्धारण या भ्रूण की हानि, प्रजनन की हानि को अवधारित करने या मानसिक पीड़ा के प्रयोजन के लिए, यथास्थिति, मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी या उप-मण्डलीय चिकित्सा अधिकारी का प्रमाण पत्र तब तक निश्चायक होगा जब तक कि सक्षम न्यायलय या प्राधिकरण कारणों को लिखित में अभिलिखित करके इसे अस्वीकार्य न समझे।
2. मानव दुर्व्यापार (तस्करी) के कारण उत्पीड़न के मामले में पुनर्वासन का प्रश्न संबंधित जिला विधिक प्राधिकरण द्वारा सम्यक् जॉच के पश्चात् विनिश्चित किया जाएगा।

उपाबन्ध–I

1. पीड़ित व्यक्ति का नाम :
2. पीड़ित व्यक्ति की आयु :
3. माता–पिता का नाम :
   (क) पिता :
   (ख) माता :
4. पता.................... मकान नम्बर....................
   गांव / वार्ड...........................
   तहसील.............................
   जिला................................
   पिन कोड नम्बर ....
   दूरभाष ....
   मोबाईल नम्बर ....
5. घटना की तिथि और समयः
6. घटना का स्थानः
7. (i) आवेदक का नाम और ब्यौरेः
   (ii) पीड़ित व्यक्ति के साथ संबंध (आश्रित परिवार के सदस्य या कोई अन्य, निर्दिष्ट करें,) यदि आवेदन, अवयस्क, मानसिक रूप से अस्वस्थ / मानसिक रूप से पीड़ित व्यक्ति की ओर से या पीड़ित व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर किया जाता है।
8. क्या प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (एफ आई आर) दर्ज की गई है या शिकायत न्यायिक मजिस्ट्रेट को की गई है ?
   (क) यदि हाँ, तो तारीख, समय और स्थान के साथ प्रथम इत्तिला रिपोर्ट की प्रति संलग्न करें।

(ख)यदि नहीं तो, उसका कारण बताएं।

13. क्या पीड़ित व्यक्ति ने उसी अपराध की बाबत प्रतिकर के लिए पूर्वत्तर कोई दावा दायर किया है।

14. यदि हां, तो उसका ब्यौरा दे; क्या चिकित्सा परीक्षण किया गया है?

(क) यदि हां, तो चिकित्सा जाँच (एम एल सी) की प्रति संलग्न करें (यदि उपलब्ध हो) ।

(ख) यदि नहीं तो उसका कारण बताएं?

15. मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न करें (जहाँ अपराध के परिणामस्वरूप पीड़ित व्यक्ति की मृत्यु हुई है)।

16. प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को दर्ज करने के नब्बे दिन के भीतर स्कीम के अधीन आवेदन करने मे देरी के कारण, यदि कोई हो।

17. बैंक खाते के ब्यौरे..............

बैंक का नाम.............

शाखा.......................

खाता संख्या.............

आई एफ एस सी कोड

आवेदक के हस्ताक्षर
पत्राचार हेतु पते सहित

स्थानः

तारीखः

संलग्नकों की सूची:

(1) प्रथम इत्तिला रिपोर्ट या न्यायालय में की गई शिकायत की प्रति ।

(2) चिकित्सा रिपोर्ट की प्रति ।

(3) कोई अन्य।